राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2303/2025

किशनलाल मीना

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.04.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, नांगल राजावतान में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.02.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अधिशेष होना बताते हुए कार्यमुक्त किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जिसे अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है। इसके अलावा अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 06.03.2025 (अनुलग्नक–2) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बैजूपाडा में रिक्त पद पर लगाया गया है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 15.01.2025 को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा राजस्थान सरकार ने निजी प्रत्यर्थी रमेश कुमार मीणा को पंचायत समिति, सरमथुरा जिला धौलपुर से पंचायत समिति, नांगल राजावतान, जिला दौसा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि पूर्व में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा पंचायत समिति, नांगल राजावतान जिला दौसा में पदस्थापित किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 18.01.2025 को कार्य ग्रहण कर लिया। दिनांक 15.01.2025 के एक अन्य आदेश के द्वारा राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने रमेश कुमार मीणा का पदस्थापन पंचायत समिति, नांगल राजावतान में किया गया, जो कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन किया गया। तत्पश्चात आदेश दिनांक 21.

02.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष माना गया, जबकि अपीलार्थी ने रमेश कुमार मीणा से पूर्व ही पदभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी पंचायत समिति, नांगल राजावतान में अधिशेष नहीं था फिर भी अपीलार्थी को अन्य पंचायत समिति बैजूपाडा में पदस्थापित किया गया है, जो उचित नहीं है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि पंचायत समिति, नांगल राजावतान में ग्राम विकास अधिकारी के कुल 19 पद स्वीकृत हैं, जिन पर वर्तमान में 20 व्यक्ति कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी पंचायत समिति, नांगल राजावतान में अधिशेष हो गया था। इस कारण से अपीलार्थी को अन्य स्थान पर पदस्थापित किया गया है।

3. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत में न कर पंचायत समिति, नांगल राजावतान में किया गया है। अपीलार्थी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति में न कर ग्राम पंचायत में किया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी विभाग ने पंचायत समिति, नांगल राजावतान में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों की सूची प्रस्तुत की है, जिससे प्रकट होता है कि पंचायत समिति, नांगल राजावतान में ग्राम विकास अधिकारी के कुल 19 पद स्वीकृत हैं, जिन पर 20 कार्मिक पूर्व से ही कार्यरत है। उक्त सूची में किशन लाल मीना का नाम अंकित नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी रमेश कुमार मीणा के पंचायत समिति, नांगल राजावतान में पदस्थापन के आधार पर अपीलार्थी को अधिशेष घोषित नहीं किया गया है। अपीलार्थी प.स. नांगल राजावतान में अधिशेष कार्मिक होना प्रत्यर्थी विभाग ने स्पष्ट किया है। अतः हम अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर नवीन पदस्थापन किये जाने के आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष